राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 220 / 2020

1. प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र बलबीर मीणा
2. विजयपाल मीणा पुत्र बलबीर सिंह मीणा
3. रामप्यारी देवी पत्नी बलबीर सिंह मीणा
   जाति मीणा निवासी ढाणी बारावाली तन पदेवा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम कांकरिया स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 162, 147 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रहलाद पुत्र बिल्लू के स्थान पर प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र बलबीर मीणा व प्रार्थी संख्या 2 का नाम धलाराम पुत्र बिल्लू के स्थान पर विजयपाल मीणा पुत्र बलबीर सिंह मीणा तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम बनारसी पत्नी बिल्लू के स्थान पर रामप्यारी देवी पत्नी बलबीर सिंह मीणा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 1162, 147 ग्राम कांकरिया पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम कांकरिया स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 162, 147 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रहलाद पुत्र बिल्लू के स्थान पर प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र बलबीर मीणा व प्रार्थी संख्या 2 का नाम धलाराम पुत्र बिल्लू के स्थान पर विजयपाल मीणा पुत्र बलबीर सिंह मीणा तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम बनारसी पत्नी बिल्लू के स्थान पर रामप्यारी देवी पत्नी बलबीर सिंह मीणा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि [illegible] होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कांकरिया स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 162, 147 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रहलाद पुत्र बिल्लू के स्थान पर प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र बलबीर मीणा व प्रार्थी संख्या 2 का नाम धलाराम पुत्र बिल्लू के स्थान पर विजयपाल मीणा पुत्र बलबीर सिंह मीणा तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम बनारसी पत्नी बिल्लू के स्थान पर रामप्यारी देवी पत्नी बलबीर सिंह मीणा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:16:09 IST
Reason: SelfAttested